/

प्रेषक,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

सेवा में,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक : 83 / विभा0वेब0 / 2024–25 / शि0मा0द0के0 / 2025 दिनांक : 11.03.2025

विषय :– **विभागीय वेबसाईट को "S3Waas" प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के आदेश सं0–395 / (सेवा) / ई–1 / स्था0 निदे0 / 2024 दिनांक 20.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में आपके द्वारा शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र की चाही गई सूचना निम्नवत् है :–

1. केन्द्र की स्थापना किए जाने का शासनादेश – छायाप्रति संलग्न।
2. पदों की स्थिति (स्वीकृत / भरे / रिक्त) –

क्र0 सं0	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
01	सहायक सेवायोजन अधिकारी	01	0	01	—
02	अनुदेशक कम्प्यूटर	01	0	01	—
03	अनुदेशक आशुलिपि	01	01	—	उपनल आउटसोर्स
04	अनुदेशक सचिवीय पद्धति	01	0	01	—
05	अनुदेशक भाषा	01	0	01	—
06	वरिष्ठ सहायक	01	0	01	—
07	अनुसेवक	01	0	01	—

3. वर्तमान में संचालित प्रशिक्षण (आशुलिपि, टंकण, कम्प्यूटर) पाठ्यक्रम सहित – आशुलिपि व्यवसाय (हिन्दी आशुलिपि, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर सैद्धान्तिक / प्रयोगात्मक)।

4. विगत पाँच वर्षों में प्रवेशित तथा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूचना – इस बिन्दु की सूचना बिन्दु 05 की सूचना में धारित है।

5. विगत पाँच वर्षों में प्रवेशित तथा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूचना –

क्र0 सं0	प्रशिक्षण सत्र	प्रवेशित अभ्यर्थी वर्गवार						उत्तीर्ण अभ्यर्थी वर्गवार					
		आशुलिपि व्यवसाय		टंकण व्यवसाय				आशुलिपि व्यवसाय		टंकण व्यवसाय			
				सत्र जनवरी से जून		जुलाई से दिसम्बर				सत्र जनवरी से जून		जुलाई से दिसम्बर	
		महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
01	2020	03	06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02	2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
03	2022	13	04	–	–	–	–	06	शून्य	–	–	–	–
04	2023	07	03	06	04	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	–	–
05	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

6. सेवायोजित अभ्यर्थियों का विवरण – सूचना धारित नहीं है।

7. अधिकतम 05 फोटोग्राफ – छायाप्रति संलग्न।

8. केन्द्र को आधुनिक एवं अपग्रेड किए जाने हेतु सुझाव –

(1) शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों को समय–समय पर अपग्रेड किया जाना आवश्यक है।

(2) दूर–दराज के बच्चों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है के अनु0जा0/जन0जाति/अ0पि0व0 के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र में निःशुल्क आशुलिपि तथा टंकण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए उचित प्रचार–प्रसार हो।

(3) अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा भी हो, ताकि अभ्यर्थी केन्द्रों में आएं।

भवदीया

जिला सेवायोजन अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

जिला सेवायोजन अधिकारी
टिहरी गढवाल

संख्या: 946 / VIII / 08–सेवा / [illegible]

प्रेषक,

[illegible] लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक 17 दिसम्बर, 2005

विषय: वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु आयोजनागत पक्ष में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन जनपद बागेश्वर / हरिद्वार / टिहरी में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों अल्मोड़ा / उत्तरकाशी / खटीमा में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु रूपये 35.25 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 3517 / डीटीईयू / सेवा / एसएनडी / 2005, दिनांक 31.05 [illegible] के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष–2005–06 हेतु आयोजनागत पक्ष में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन जनपद बागेश्वर / हरिद्वार / टिहरी में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों अल्मोड़ा / उत्तरकाशी / खटीमा में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु संलग्न विवरणानुसार रूपये 35.25 लाख (रूपये पैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने तथा निम्नांकित पदों को सृजित करने की श्री [illegible] सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	सहायक सेवायोजन अधिकारी	03	6500–10500
2	अनुदेशक कम्प्यूटर	03	4500–7000
3	अनुदेशक सचिवीय पद्धति	03	4500–7000
4	अनुदेशक भाषा	03	4500–7000
5	अनुदेशक आशुलिपिक	03	4500–7000
6	वरिष्ठ सहायक	03	3050–4590
7	[illegible]	03	2550–3200
	योग	21	

2– [illegible] धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि [illegible] मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि [illegible] आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट [illegible] या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से [illegible] सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही